

कार्य का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

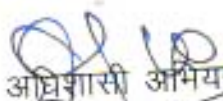
MOU/Agreement executed between the present owner and the user agency.

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जिसका क्षेत्रफल 1.5225 हे० के हस्तान्तरण मामले में दो गुने क्षेत्रफल 3.045 सिविल सोयम पर राजस्व विभाग का स्वामित्व है। उक्त स्थल ग्राम बगोड़ी की सिविल सोयम भूमि का खसरा नं० 2979 पर है, जिसका चयन वन विभाग के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किया गया है। क्षतिपूरक हेतु चिन्हित स्थल सर्वदा उपयुक्त है। वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) प्राप्त होने के पश्चात् उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी जायेगी।

उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.5225 हे० के ऐवज में दोगुनी अवनत सिविल सोयम भूमि अर्थात् 3.045 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उन की मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़।


अघिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़।


तहसीलदार,
चिन्यालीसौड़।


वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वनराशि


वन क्षेत्राधिकारी
धरासू


वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी